लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

20 सरोजिनी नायडू मार्ग प्रयागराज -211001
REGIONAL TRAINING INSTITUTE
Indian Audit & Account Department
20 Sarojini Naidu Marg Prayagraj-211001
Phone:2421364,2421063,2624467
Fax:0532-2423485

पत्रांक क्षे.प्र.सं.(ई)/प्रशासन/नीलामी/2021-22/ 518

दिनांक: 11.11.2021

निविदा सूचना

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के परिसर में कार्यालय के पुराने AC, Stabilizer आदि सामानों की बिक्री हेतु सुविधाजनक ढेरों में रखा गया है जिसके निस्तारण हेतु इच्छुक व्यक्तिओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 26.11.2021 तक प्रातः 11:00 से 2:00 बजे के मध्य ~~के दौरान~~ उक्त सामानों का निरीक्षण कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर कर सकते हैं एवं सीलबंद निविदाएं कार्यालय में दिनांक 29.11.2021 से दिनांक 15.12.2021 तक जमा कर सकते हैं।

1. इच्छुक बिडर को रुपए 10000/- की राशि "वेतन एवं लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी- प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में या कार्यालय महानिदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के खजांची के पास दिनांक 29.11.2021 से दिनांक 15.12.2021 अपराहन 04.00 बजे तक नगद जमा करनी होगी।

2. निविदा की शर्त के अन्य विवरण अधोहस्ताक्षरी अथवा संस्थान के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं कार्यालय की वेबसाइट rtiallahabad@cag.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

3. बिड हेतु सामानों के संपूर्ण ढ़ेरीओ की राशि निविदाएं सीलबंद लिफाफे में जो कि अधोहस्ताक्षरी को संबोधित हो दिनांक 15.12.2021 अपराहन 5:00 बजे तक इस कार्यालय के प्रशासन अनुभाग में उपलब्ध टेंडर बॉक्स में जमा की जा सकती हैं, जिसे इस कार्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष दिनांक 16.12.2021 सुबह 11:00 बजे कार्यालय में खोला जाएगा। बिड में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति लिफाफे खोले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं। दिनांक 15.12.2021 अपराहन 5:00 बजे के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. कार्यालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी निविदा के अंश या सकल निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
20 सरोजिनी नायडू मार्ग प्रयागराज -211001
REGIONAL TRAINING INSTITUTE
Indian Audit & Account Department
20 Sarojini Naidu Marg Prayagraj-211001
Phone:2421364,2421063,2624467
Fax:0532-2423485

पत्रांक क्षे.प्र.सं.(ई)/प्रशासन/नीलामी/2021-22/ 516

दिनांक: 11.11.2021

पुराने AC, Stabilizer इत्यादि सामानों की बिक्री(Disposal) संबंधी शर्तें :-

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्तियों फ़र्मों को दिनांक 26.11.2021 तक कार्यालय महानिदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के परिसर में AC इत्यादि का निरीक्षण कर सकते हैं।
2. निविदाकर्ता को रुपए 10000/- की सुरक्षा धनराशि अग्रिम धन के रूप में जमा करनी होगी जो कि "वेतन एवं लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उत्तर प्रदेश प्रयागराज" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में या कार्यालय महानिदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के खजांची के पास नगद के रूप में जमा होनी चाहिए।
3. बिड हेतु सामानों के संपूर्ण ढेरियों की राशि हेतु निविदाएं सीलबंद लिफाफे में जो कि अधोहस्ताक्षरी को संबोधित हो इस कार्यालय के प्रशासन अनुभाग में उपलब्ध टेंडर बॉक्स में जमा किया जा सकता है जिसे दिनांक 16.12.2021 को इस कार्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष कार्यालय में खोला जाएगा बिड में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति लिफाफे खोले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं दिनांक के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा के खोले जाने पर जिस बिडर/निविदाकर्ता की निविदा दर अधिकतम पाई जाती है उसे निविदा की सकल धनराशि का 50% तत्काल इस कार्यालय के खजांची के पास जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष धनराशि अगले कार्य दिवस को जमा कर सामग्री तीन कार्य दिवस के अंदर ले जाना होगा। यदि प्रथम बोली दाता निविदा की सकल धनराशि का 50% तत्काल जमा किए जाने में असमर्थ रहता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी एवं धरोहर राशि रुपए 10,000/- जब्त कर ली जाएगी।
5. प्रथम उच्च बोलीदाता के विफल होने पर सामग्री की नीलामी द्वितीय उच्च बोलीदाता को क्रम संख्या 4 की शर्तों के अधीन दी जाएगी।
6. यदि कोई सफल निविदाकर्ता कुल निविदा की राशि जमा करने के तीन कार्य दिवस के अंदर सामान नहीं उठा ले जाता है तो उससे रुपए 500/- प्रतिदिन की दर से भंडारण शुल्क लिया जाएगा जो उसे सामान उठाने की तिथि तक संस्थान के कैशियर के पास जमा करना होगा। सामान को उठाने और ले जाने की व्यवस्था एवं खर्च स्वयं सफल बोलीदाता को करनी होगी।
7. किसी भी सरकारी कर्मचारी को निविदा की अनुमति प्राप्त नहीं होगी ऐसा करने वाले कर्मचारी का कृत्य आचरण नियमावली के अधीन अनुचित समझा जाएगा एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
8. कार्यालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी निविदा के अंश या सकल निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. किसी विवाद की स्थिति में महानिदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित निविदाकर्ता उसे मानने के लिए बाध्य होगा।

11.11.21

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी